

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

पत्र संख्या: 432 / सम्पत्ति / म0वृ0वि0प्रा0 / 2023-24

दिनांक 31 मई, 2023

आवंटन पत्र/भुगतान विवरण

सेवा में,

KSONS BUILDWELL LLP
Add.-C-16. GEETA ENCLAVE,
KRISHNA NAGAR, MATHURA.

विषय:- रुक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन स्थित भूखण्ड सं0-S3/व्यवसायिक (Commercial) (क्षेत्र0 8000.00 व0मी0) का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक रुक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, स्थित दिनांक 24.03.2023 को नीलामी बोली में भूखण्ड सं0-S3/व्यवसायिक (Commercial) (क्षेत्र0 8000.00 व0मी0) KSONS BUILDWELL LLP को निम्नवत् शर्तों पर आवंटित किया जाता है :-

1. भूखण्ड का उच्चतम बोली मूल्य रू0 53,12,00,000.00 एवं 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज रू0 5,31,20,000.00 अर्थात् कुल भूखण्ड का मूल्य (कार्नर चार्ज सहित) रू0 58,43,20,000.00 में से 10% पंजीकरण धनराशि रू0 4,04,80,000.00 को समायोजित करने के उपरान्त 15% आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि अन्तर सहित) रू0 10,56,00,000.00 आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर जमा करानी होगी।
2. अवशेष धनराशि 75% रू0 43,82,40,000.00 को तीन वर्ष के अंदर 12.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छः छमाही किश्तों में जमा करानी होगी जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	किश्तों का विवरण	देय दिनांक	किश्त धनराशि (रू0 में)
1.	किश्त-1	01.11.2023	8,94,71,953.00
2.	किश्त-2	01.05.2024	8,94,71,953.00
3.	किश्त-3	01.11.2024	8,94,71,953.00
4.	किश्त-4	01.05.2025	8,94,71,953.00
5.	किश्त-5	01.11.2025	8,94,71,953.00
6.	किश्त-6	01.05.2026	8,94,71,953.00

3. उपरोक्त अवधि में किश्तों में विलम्ब से जमा होने के दशा में 15.25 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब ब्याज भी देय होगी। आवंटन होने के पश्चात् लगातार तीन किश्त जमा नहीं किये जाने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। भूखण्ड आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 को होगा।
4. भूखण्ड मूल्य (कार्नर चार्ज सहित) का 12 प्रतिशत फीहोल्ड चार्ज रू0 7,01,18,400.00 व जल संयोजन शुल्क रू0 25000.00 एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त पृथक से देय होंगे तथा आवंटनी को भूखण्ड पर बिजली, पानी का कनेक्शन अपने नाम से स्वयं के व्यय पर लेना होगा।
5. बोलीदाता को 29 दिन तक किश्त भुगतान हेतु ग्रेस समय दिया जायेगा। ग्रेस समय के पश्चात् पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से ही जितने दिन किश्त के भुगतान में विलम्ब होता है, का ब्याज नियमानुसार 15.25 प्रतिशत की दर सहित का भुगतान लिया जायेगा। यदि किश्त का भुगतान पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से 3 माह पश्चात् भी नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. भूखण्ड का प्रयोग व्यवसायिक होगा तथा कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर मानचित्र स्वीकृतानुसार निर्माण प्रारम्भ कराना होगा। भूखण्ड का उप-दिभाजन मान्य नहीं होगा।

7. भूखण्ड पर विक्रय विलेख/अनुबन्ध के दिनांक से शासनादेशानुसार अधिकतम पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं भवन के प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
8. कब्जा दिये जाने के समय/विक्रय विलेख के समय भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर आने पर तदानुसार अधिकतम बोली मूल्य के अनुसार धनराशि एवं फ्रीहोल्ड शुल्क जमा करना होगा ।
9. आवंटी को स्थानीय कर एवं प्राधिकरण/शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क स्वयं देने होंगे ।
10. भूखण्ड सम्बन्धी देय समस्त भुगतान कर देने एवं पंजीकृत विक्रय विलेख कराने के पश्चात् भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा। विक्रय विलेख पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय आवंटी को देना होगा ।
11. प्राधिकरण द्वारा योजना के अतिरिक्त सुदृढीकरण हेतु यदि कोई अतिरिक्त भुगतान व्यय किया जाता है तो उसका समानुपातिक भाग आवंटी को वहन करना होगा ।
12. भूखण्ड की बकाया धनराशि का भुगतान निर्धारित समय में जमा न किये जाने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
13. भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित भवन पर भविष्य में जो भी कर, आदि शुल्क भवन निर्माण के दौरान निर्धारित होते हैं वह बोलीदाता/आवंटी को जमा करने होंगे ।
14. यदि आवंटी द्वारा ब्रोशर एवं आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के कारण भूखण्ड/सम्पत्ति का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है अथवा आवंटी द्वारा समर्पण किया जाता है तो नियमानुसार धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
15. सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया जा सकेगा ।
16. यदि किसी एल0ए0 वाद में किसी न्यायालय द्वारा मुआवजे में बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह धनराशि आनुपातिक रूप से आवंटी को देनी होगी ।
17. कब्जे की तिथि से नगर पालिका को कालोनी हस्तान्तरण होने तक आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार रख-रखाव शुल्क देना होगा । तदोपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा रख-रखाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा ।

प्रभारी सचिव
म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा ।

सचिव
म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा ।

% (A)